# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड नाथद्वारा (10452) जिला राजसमंद

**– प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)**

**बनाम**

मैसर्स अन्नपूर्णा किराणा जनरल स्टोर प्रो. सचिन तिवारी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र तिवारी
पताः– मोगाना, थामला फाटक के पास, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)
पताः– मोगाना, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

**– अप्रार्थीगण / ऋणी**

**किस्म मुकदमा**– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 33 / 2025**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

**दिनांक 09.02.2026**

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड नाथद्वारा ने दिनांक 08.09.2025 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स अन्नपूर्णा किराणा जनरल स्टोर प्रो. सचिन तिवारी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र तिवारी निवासी मोगाना, थामला फाटक के पास, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द को रूपये 8,00,000 / – का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादित कियें थे। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में चल संपत्ति Hypothecation Stock मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.) पर स्थित है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 09.10.2024 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 16.01.2025 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशी रूपये 8,60,614 / – रू. दिनांक 12.01.2025 तक एवं इसके पश्चात से ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिये बकाया निकलने से राशि की मांग की है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रतिभूत आस्तियों को अपने कब्जे में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक चल सम्पतिः Hypothecation Stock मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.) पर स्थित है।

उपरोक्त चल सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश / स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड नाथद्वारा के प्राधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड नाथद्वारा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)